संख्या-20 /2019/671/30-3-19-15बी/2017टीसी

प्रेषक,

विनोद कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 19 मार्च, 2019

विषय- सम्भागीय परिवहन कार्यालय-गोरखपुर के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-436ए/2019-100ए/2015, दिनॉक 08-03-2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्भागीय परिवहन कार्यालय- गोरखपुर के निर्माण के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-12/2018/37/30-3-18-15बी/2017टीसी, दिनांक 27-02-2018 द्वारा लोक निर्माण विभाग को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। तत्क्रम में वित्तीय वर्ष 2017-18 में उक्त कार्य हेतु आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन रू0 1310.40 लाख के प्रस्ताव को प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा परीक्षणोपरान्त आंकलित की गयी धनराशि रू0 573.84 लाख (रू0 पांच करोड़ तिहत्तर लाख चौरासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए शासनादेश संख्या-30/2018/794/30-3-18-15बी/2017टीसी, दिनांक 23 मार्च 2018 द्वारा प्रायोजना की अनुमोदित धनराशि रू0 573.84 लाख की 50 प्रतिशत धनराशि रू0 286.92 लाख (रू0 दो करोड़ छियासी लाख बान्नबे हजार मात्र) की प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी।

2- उक्त अवमुक्त की गयी प्रथम किश्त की धनराशि का उपभोग कर लिये जाने के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये उपभोग प्रमाण-पत्र के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2018-19 में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के पूंजीगत पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-03-सम्भागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय, गोरखपुर का भवन निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य की मद में प्रावधानित धनराशि रू0 500.00 लाख में से द्वितीय किश्त/अवशेष धनराशि रू0 286.92 लाख (रू0 दो करोड़ छियासी लाख बान्नबे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।
(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30-03-2018 में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
(3) कार्य की विशिष्टियां, मानक, गुणवत्ता की जिम्मेदारी आपकी होगी तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में पूर्ण हो जाये।
(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के संगत प्राविधानों समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुरूप किया जायेगा।
(5) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।
(6) प्रायोजना का अन्तिम रूप से अनुमोदित मानचित्र/डिजाइन के अनुसार सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य कराया जाय।
(7) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन दी जा रही है कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019 हेतु प्रभावी आचार संहिता का उलंघन न होना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(8) उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो, इसका पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

(9) परियोजना का निर्माण कार्य चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में ही पूर्ण कर लिया जायेगा और इसका उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा और इस हेतु कोई पुनरीक्षित लागत स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(10) पूर्व निर्मित सम्भागीय/ उप सम्भागीय परिवहन कार्यालयों में सारथी साफ्टवेयर आधारित स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिये हाल के निर्माण के मानकीकरण शासनादेश संख्या-2011/30-3-13-10बी/ 2013टी0सी0, दिनॉक 13-09-2013 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) उक्त व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व विभाग का होगा।

(12) निर्धारित मानकानुसार उपर्युक्त भूमि की निर्विवाद रूप से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जायेगी।

(13) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत पूंजीगत पक्ष के लेखाशीर्ष "4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-03-सम्भागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह०/-

(विनोद कुमार)

उप सचिव।

संख्या-20/2019/671(1)/30-3-2019, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- सम्भागीय परिवहन अधिकारी, गोरखपुर।
6- नियोजन अनुभाग-4
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
9- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था - लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश ।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह०/-

(विनोद कुमार)

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।